सचिका स0–7/MCH-35-06/2026-27-..166 (70)

11

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शम्भु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–13/04/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओ के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 99,00,000/–(रूपये निन्यानवे लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि विभागीय सकल्प सख्या–1017(1), दिनांक–28 08 2017 एव सकल्प सख्या–877(1), दिनाक–27 09.2022 के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2026–27 में भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर मे इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृति/इन्टर्नशीप क भुगतान हेतु कुल रू0 99,00,000/– (रूपये निन्यानवे लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य उप मुख्यशीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाए–एलोपैथी लघु शीर्ष-110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0009–भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर, विपत्र कोड–20-2210-01-110-0009 अतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद मे उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर होगे एवं नियत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर होगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रो को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि(2), दिनांक–17 04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका स०–7/MCH -35-06/2026-27 के पृष्ठ–03/टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन,

13.4.26

(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 7/MCH-35-06/2026-27- 166 (78) /स्वा0, पटना, दिनांक – 13/04/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधीक्षक, भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.4.26

सरकार के अपर सचिव